कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,मेरठ

पत्रांक /प्रबंधक / 1169 / 2021-22 दिनांक- 29/08/2022

(कार्यालय आदेश)

कार्यालय पत्रांक/ प्रबंधक/ मान्यता / 333-37 /2019-20 दिनांक 16/08/2019 के द्वारा अलेक्जेंडर पब्लिक स्कूल,बाजोट,मेरठ को नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) को शैक्षिक सत्र 2019-20 से शैक्षिक सत्र 2021-22 तक तीन वर्ष के लिए अंतिम मान्यता प्रदान की गई थी

विद्यालय प्रबंधक के पत्र दिनांक 26/08/2022 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने का अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 418/79-6- 2013-8 एस (7) / 89 शिक्षा अनुभाग -6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नलिखित प्रधान दिया है।

प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लेखित प्रधानों के दृष्टिगत औपबंधिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जाएगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जाएगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गई है का प्रावधान है।

उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए कार्यालय पत्रांक/ प्रबंधक/ मान्यता/333 -37/ 2019-20 दिनांक 28/09/2021 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाए।

योगेंद्र कुमार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ

पृ0स0/प्रबंध // 1169 /2021-22 । दिनांक- 29/08/2022

प्रतिलिपि अंकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निश्चित।

1, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
2, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक इलाहाबाद।
3, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मंडल मेरठ।
4, प्रबंधक अलेक्जेंडर पब्लिक स्कूल बाजोट मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ